रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278149
CG-DL-E-24112026-278149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6111] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2026/अग्रहायण 2, 1948
No. 6111] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2026/AGRAHAYANA 2, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2026

का.आ. 6351(अ).— केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 54 के परन्तुक के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित विनिर्माताओं को, निर्यात की जाने वाली औषधियों या विनिर्मितियों (फॉर्मूलेशन) के विनिर्माण में अनन्य रूप से उपयोग के लिए मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन और उनके लवणों (जिन्हें इसके पश्चात् एल्कलॉइड कहा गया है) का आयात करने की अनुमति दी जाती है तथा उक्त विनिर्माता उक्त नियमों के नियम 55, 56, 58, 59 और 62 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :-

(क) आयातित एल्कलॉइड युक्त औषधि या विनिर्मिति (फॉर्मूलेशन) का निर्यात, आयात की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए स्वापक आयुक्त को ऐसे विस्तार मांगने के कारणों और आधारों सहित आवेदन करके बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह कि किसी भी दशा में कुल अवधि, जिसके अंतर्गत उसका विस्तार भी शामिल है, दो सौ सत्तर दिन से अधिक नहीं होगी;

(ख) निर्यात के लिए एल्कलॉइड या तैयार विनिर्मितियों की कोई भी मात्रा जो अप्रयुक्त रह जाती है, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को अभ्यर्पित की जाएगी; और

(ग) ऐसी अन्य शर्तें और परिसीमाएं जो स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

सारणी

क्रम सं.	विनिर्माता का नाम और पता
(1)	(2)
1.	मैसर्स सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला हाउस, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
2.	मैसर्स मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड, एल-82 और एल-83, वर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, वर्ना, गोवा-403722

2. यह अधिसूचना 31 दिसंबर, 2027 तक लागू मानी जाएगी।

3. दिनांक 31 दिसंबर, 2027 तक प्ररूप 4ए में जारी किया गया कोई भी आयात प्रमाणपत्र, आयात प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

[फा. सं. एन.11012/1/2013-एस.ओ (एनसी-II)-2]

मोन्टी कुमार झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2026

S.O. 6351(E).— In pursuance of the proviso to rule 54 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby notifies that the manufacturers mentioned in the Table below are permitted to import morphine, codeine, thebaine and their salts (hereinafter called alkaloids) for use exclusively in manufacture of drugs or formulations to be exported and the said manufacturers shall comply with the procedure specified in rules 55, 56, 58, 59 and 62 of the said rules, and the following conditions, namely :-

(a) the drug or the formulation containing the imported alkaloids shall be exported within a period of one hundred and eighty days from the date of import which may be extended by a further period not exceeding thirty days by making an application to the Narcotics Commissioner with the reasons and grounds for seeking such extension:

Provided that the total period including extension thereof shall not exceed two hundred and seventy days in any case;

(b) any quantity of alkaloids or finished formulations for export that remain unutilised shall be surrendered to the Government Opium and Alkaloids Works; and

(c) such other conditions and limitations as may be specified by the Narcotics Commissioner.

TABLE

Sl. No.	Name and address of manufactures
(1)	(2)
1.	M/s Cipla Ltd., Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpat Rao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
2.	M/s Marksans Pharma Ltd., L-82 & L-83, Verna Industrial Estate, Verna, Goa-403722

2. This notification shall remain in force upto the 31st December, 2027.

3. Any import certificate issued in Form 4A upto 31st December, 2027 shall be valid for a period of one hundred and eighty days from the date of issue of the import certificate.

[F. No. N.11012/1/2013-SO(NC-II)-2]

MONTY KUMAR JHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA